भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3009

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टेलीमेडिसिन सेवा

3009. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विनियमन के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीमेडिसिन के लिए कुल कितना बजट आबंटन और व्यय किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): जी हां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा (ई-संजीवनी) के रूप में एक टेलीमेडिसिन सेवा लागू की है और इसका विवरण निम्नानुसार है:

I. ई-संजीवनी एबी-एएएम: यह एक प्रदाता-से-प्रदाता टेलीमेडिसिन प्रणाली है, जिसे नवंबर, 2019 में लॉन्च किया गया था और यह हब और स्पोक मॉडल पर आधारित है।

II. ई-संजीवनी ओपीडी: यह एक रोगी-से-प्रदाता टेलीमेडिसिन प्रणाली है, जिसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था ताकि नागरिकों को अपने घरों में ही बाह्य रोगी सेवाएं प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा सके और प्रदाता-से-रोगी परामर्श प्रदान किया जा सके।

जी हां, सरकार ने देश में टेलीमेडिसिन सेवाओं (ई-संजीवनी) के विनियमन के लिए टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीमेडिसिन के लिए बजट आवंटन और व्यय निम्नानुसार है;

वित्त वर्ष	**परियोजना आवंटन (रु. लाख में)**	**व्यय (लाखों रुपए में)**
2021-2022	5425.00	608.88
2022-2023*	0.00	2637.79
2023-2024	2444.70	2508.13

*2022-2023 के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग किया जा रहा था।
